

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

पत्र संख्या:- 05/स्था0- 29/2014.....परि0, दिनांक:-

आदेश

श्री हरिकृष्ण सिंह, लिपिक, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय, सहरसा को विशेष परिस्थिति में माँ की चिकित्सा एवं सेवा निवृत्ति की अवधि मात्र 7 माह रहने के फलस्वरूप क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय, सहरसा से स्थानान्तरित करते हुए जिला परिवहन कार्यालय, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी, सहरसा/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सहरसा/पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/सहरसा/जिला कोषागार पदाधिकारी, सहरसा/पटना/श्री हरिकृष्ण सिंह, लिपिक, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अवर सचिव-2/प्रशाखा पदाधिकारी-5 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-


राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

2880

पटना, दिनांक:- 16/6/16

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



16.6.16  
राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।